

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2017 (भाद्रपद 4, 1939)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2017 (BHADRA 4, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400001, दिनांक 4 जुलाई 2017

बैविवि.आईबीडी.सं.94/23.13.070/2017-18—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :-

“नेशनल बैंक ऑफ़ आबु धाबी पीजेएससी” शब्दों के स्थान पर “फ़र्स्ट आबु धाबी बैंक पीजेएससी” शब्द होंगे।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 5 जुलाई 2017

बैविवि.आईबीडी.सं.18/23.03.032/2017-18—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :-

“कतर नेशनल बैंक एस.ए.क्यू”

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 4th July 2017

DBR.IBD.No.94/23.13.070/2017 -18—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely:-

For the words “National Bank of Abu Dhabi PJSC” the words “First Abu Dhabi Bank PJSC” shall be substituted.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

The 5th July 2017

DBR.IBD.No.18/23.03.032/2017-18—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:

“Qatar National Bank SAQ”

SUDARSHAN SEN
Executive Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.08.26
11:13:01 +05'30'